कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

<u>संदेश</u>

हिन्दी दिवस

14 सितम्बर 2022

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ!

वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का स्वाभिमान है भाषा।
भाषाओं के शीर्ष पर बैठी, हमारी प्यारी हिंदी भाषा।

भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी भाषा सहायक का कार्य करती है इसलिए अपने देश भारत को विकसित करने के लिए हमें अपनी भाषा को उन्नत एवं प्रगतिशील बनाना है। हिन्दी भाषा की उन्नति हेतु हमें अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने दैनिक कार्यो में हिन्दी को व्यवहार में लाना है तथा अन्य व्यक्तियों को भी इसके महत्व को बताते हुए इसके प्रचार प्रसार में सहयोग देकर इसे जन-जन की भाषा बनाने के लिए संकल्प करना है।

अनेकता में एकता के देश भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य जिस भाषा द्वारा किया जा रहा है वह हिन्दी भाषा है, इसी कारण हिन्दी भाषा को दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ।

अतः हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जन भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए जिला न्यायालय में यथासंभव योगदान करें और सरकारी कामकाज करते हुए देश का गौरव बढ़ाएं।

यशवंत कुमार
(यशवंत कुमार)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला उत्तर-पश्चिम रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली

26894-26969
संख्या......................./संदेश-2022/राजभाषा अनुभाग हिन्दी (उ०प० एवं उ०) दिल्ली, दिनांक 13/09/2022

उर्युक्त संदेश की प्रति सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है।

1. समस्त माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली एवं नई दिल्ली।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
4. निजि सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम, दिल्ली।
5. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स/वेबसाई, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी दिल्ली एवं मुख्यालय तीस हजारी, दिल्ली।

यशवंत कुमार
(प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
जिला उत्तर-पश्चिम रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली